न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00007(07/2019)

लाली पत्नी रायसिंह जाति जाट साकिन चक 6 केएचआर खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. रायसिंह पुत्र हजारी राम
2. सोहनलाल पुत्र हजारीराम
3. मदनलाल पुत्र हजारीराम
4. रविन्द्र कुमार पुत्र साहनलाल
5. मुकेश पुत्र सोहनलाल
6. नरेश कुमार पुत्र सोहनलाल
7. राजेश कुमार पत्रु मदनलाल
8. महेश कुमार पुत्र मदनलाल
9. विजय कुमार पुत्र राय सिह
10. सुमन पत्नी विनोद कुमार

} जाति जाट साकिन चक 5 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

11. आयुष पुत्र विनोद नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन चक 5 के एचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. निर्मला देवी पुत्री रायसिंह पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 15 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2011

द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रकरण संख्या 142/2011 बअनवानी रविन्द्र आदि बनाम सोहनलाल आदि

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10

श्री रविन्द्र कुमार मोविया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 12

श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 13

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक – 26.07.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया वाद पत्र में कथन किया कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम चक 9 केएचआर के खाता संख्या 125 में 4.895 है0, चक 5 केएचआर के खाता संख्या 154 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 6.237 है0, खाता संख्या 109 में प्रतिवादी सं0 2 क नाम 6.045 है0 व खाता संख्या 92 में प्रतिवादी सं0 3 क नाम 3.289 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण ने वादपत्र की चरण सं0 3क से "ग" के मुताबिक प्रश्गनत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का अनुतोष मांगा। वादीगण व प्रतिवादीगण के राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टा ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टा ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रकरण का निस्तारण कर दिया है जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि हो और पिता व पुत्र के मध्य अगर विभाजन का वाद पेश होता है तो उसमें परिवार के समस्त वारिसान का हक व हिस्सा निहित होने के कारण वाद में पत्नी भी आवश्यक पक्षकार होती है। मुझ अपीलांटा का भी उक्त वाद में हक व हिस्सा निहित होने के कारण आवश्यक पक्षकार थी परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। पक्षकारों एवं उत्तराधिकारियों बावत कोई साक्ष्य नहीं लिए गये। राजीनामा की जांच नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है ना ही फर्दअहकाम पर हस्ताक्षर हैं। पैतृक सम्पति में हक हिस्सा निहित होने से वाद में पक्षकार नहीं होने के कारण बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रसतुत की है ताकी अपील में तकनीकी खामी नहीं रहे। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री परित करते समय मुझ अपीलांटा को आश्वासन दिया था कि आपके हक हिस्सा की भूमि आपके नाम दर्ज करवा दी जावेगी चूंकि अपीलाण्ट एक ग्रामीण परिवेश की महिला है अब अपीलाण्टा को ऋण की आवश्यकता हुई तो अपीलांटा ने पटवारी से स्वयं के नाम की जमाबंदी प्राप्त करनी चाही तो पटवारी हल्का से पता चला कि अपीलांटा के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं है। तब अपीलाधीन निर्णय का अपीालण्ट को ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील प्रसतुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 10 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के मध्य राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये हैं। राजीनामा पर अपीलांटा के पति के रायसिंह के हस्ताक्षर हैं। अपीलांटा अपने पति द्वारा किये गये कथनों से बाध्य है। अपीलांटा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पति द्वारा राजीनामा से करवाये गये निर्णय एवं डिक्री के कारण प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांटा ने लगभग 8 वर्षों के पश्चात् यह अपील पेश की है अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने को कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अपीलांट की अपील मियाद बिन्दू एवं गुणावगुण पर खारिज किये जाने योग्य है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 13 निर्मला देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है उस राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः रेस्पोडेण्ट सं0 13 का क्रॉस आब्जेक्शन भी खारिज किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 13 ने अपनी बहस में कथन किया कि उसका प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा निहित था जो उसके द्वारा कभी भी अपने हक हिस्सा का त्याग शेष पक्षकारेां के हक में त्याग नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 13 कभी भी मातहत अदालत में उपस्थित नहीं हुई ना ही कभी किसी प्रकार का कोई राजीनामा अदालत हाजा में प्रस्तुत किया। उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं, जिसका फायदा उठाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अतः क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है। इस वाद पत्र में अपीलाण्टा के पति रायसिंह प्रतिवादी सं0 2 के रूप में संयोजित है, के राजीनामा पर हस्ताक्षर हैं। वादपत्र में रेस्पोडेण्ट सं0 13 को प्रतिवादी सं0 4 पक्षकार बनाया गया है लोकदालत की भावना से वादीगण /प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा में प्रतिवादी सं0 4 ने सहमति से हस्ताक्षर करते हुए अपना हिस्सा त्याग किया है। इस राजीनामा पर प्रतिवादी सं0 2 के रूप में संयोजित है उसके हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष ने प्रकरण को लोकअदालत में रखाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाकर आपसी राजीनाम के अनुसार वाद दिनांक 11.04.2011 को डिक्री करवाया है। रेस्पोडेण्ट सं0 13 इस निर्णय एवं डिक्री कं विरूद्ध अपील पेश होने पर दिनांक 21.03.2022 को क्रॉस आब्जेक्शन पेश किया है। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध 11 वर्ष तक उसके द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई ना ही कोई कार्यवाही की गई। इतने विलम्ब करने का रेस्पोडेण्ट ने कोई कारण नहीं बताया है। अतः रेस्पोडेण्ट सं0 13 का क्रॉस आब्जेक्शन खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्टा ने भी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2011 के विरूद्ध दिनांक 10.01.2019 को लगभग 8 वर्ष के अंतराल से यह अपील पेश की है। इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलाण्टा का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटा का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है साथ ही रेस्पोडेण्ट सं0 13 द्वारा अपील में प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन दिनांक 21.03.2022 भी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

26/7/23

(करतार सिह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)